



## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2021/ 1054

दिनांक :- 14/10/2021

--: अधिसूचना :-

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश, सतपुडा भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक/1032/276/आउशि/शा.- 5 /2021 भोपाल, दिनांक 02.09.2021 में उल्लेखित निर्देशानुसार यह अधिसूचित किया जाता है कि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुक्रम में अकादमिक सत्र 2021-22 से स्नातक प्रथम वर्ष/सेमेस्टर के विद्यार्थी को अपने संकाय का एक मुख्य विषय (Major) एक गौण विषय (Minor), मूल विषय संकाय अथवा किसी अन्य संकाय से एक वैकल्पिक विषय (Open Elective Course) के साथ एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम (कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम) से विषय का चयन करना होगा। इसके साथ ही फील्ड प्रोजेक्ट्स/इंटरशिप/शिक्षुता/सामुदायिक जुड़ाव और सेवा (Field Project/internship/apprenticeship/community engagement and service) में से किसी एक के चयन सहित अनिवार्य विषय के रूप में आधार पाठ्यक्रम (योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम), का अध्ययन करना होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

दिनांक :- 14/10/2021

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2021/ 1055

प्रतिलिपि :-

01. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्राचार्य विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र, उज्जैन।
02. समस्त संकायाध्यक्ष, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
03. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
04. प्रभारी ऑनलाईन सेंटर, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
05. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन कृपया अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रसारित करें।
06. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल।
07. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निज सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन। की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)